

9.5.18

पञ्जावली आण केंद्र कोर्ट खार्पाणी में पेश हुई।
पञ्जावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। असुरत
पार्थना पत्र अस्वाइं निजे दादा में वर्णित भूमि
धन विभाग के नाम व शालबीय दर्ज बिकाइ है। धार्पाणी
को वक विभाग की भूमि एवं शालबीय भूमि में ~~अ~~ अर्थात्
को धरिये अस्वाइं निजे दादा के ~~अ~~ अस्वाइं लरे के को
विधिक अधिकार नहीं है। अतः पार्थना पत्र अस्वाइं
निजे दादा आधारहीन होने से खारिज किया जाना
है। पञ्जावली फौसल शुमार होकर नम्बर के लभ है
तथा कारिग दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (उपखण्ड)